<u>न्यायालय - न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाडी, धौलपुर (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी : **सौम्या यादव, आर.जे.एस. (RJ01625)**

सी.आई.एस. नंबर : **64/23**

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. : **183/2023 थाना कंचनपुर, धौलपुर**

सी.एन.आर. नंबर : RJDH060014902023

राजस्थान राज्य सरकार

----अभियोगी

बनाम

सुरेन्द्र पुत्र फोदलिया निवासी गढी जाटवान, थाना कंचनपुर, जिला- धौलपुर

----अभियुक्त

<u>अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 एवं 504 भारतीय दण्ड संहिता</u>

उपस्थितः-

01. राज्य की ओर से - सहायक अभियोजन अधिकारी।

02. अभियुक्त की ओर से - अधिवक्ता श्री जगनलाल।

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	आरोप-पत्र पेश करने की दिनांक	14.07.2023
2.	प्रसंज्ञान लेने की दिनांक	14.07.2023
3.	चार्ज अधिरोपण की दिनांक	14.07.2023
4.	अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने की दिनांक	09.07.2025
5.	बयान मुलजिम लिये जाने की दिनांक	17.01.2026
6.	बचाव साक्ष्य लिए जाने की दिनांक	07.10.2024
7.	विचारण में लगा कुल समय	03 साल
8.	निर्णय की दिनांक	09.07.26

-:: <u>निर्णय</u> ::- **<u>दिनांक : 09.07.2026</u>**

1. सर्वप्रथम थानाधिकारी थाना कंचनपुर, धौलपुर द्वारा जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी अभियुक्त सुरेन्द्र के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 एवं 504 भारतीय

दण्ड संहिता के तहत आरोप-पत्र श्रीमान् अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-02, बाड़ी, जिला- धौलपुर में पेश किया गया। हस्तगत प्रकरण श्रीमान अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-02, बाड़ी, जिला- धौलपुर से श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के आदेश क्रमांक 51 दिनांकित 19.03.2024 द्वारा अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ जिसे पंजीबद्ध कर प्रकरण का आज निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मुस्तगीस विजयसिंह पुत्र नत्थीलाल ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीर इस आशय का पेश किया कि दिनांक 04.06.23 को समय सुबह 09.30 बजे वह अपने घर से गांव की ओर गया था, रास्ते में चौक के पास सुरेन्द्रसिंह व लच्छो पुत्रगण फोदलिया निवासी खिटाना ने उसको रास्ते में घेर कर जबरन रोक लिया और मामूली कहासुनी की बातों के ऊपर उक्त दोनों ने उससे मां बहिनों की गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे तथा उसके ऊपर दादागिरी कर रहे थे। उसने मना किया तो उक्त दोनों ने एकराय बनाकर लात-घूसों व डण्डों से उसकी बुरी तरह से मारपीट कर डाली। सुरेन्द्र सिंह ने अपनी पेन्ट की आंट में से एक कट्टा निकाला और कट्टे का बट उसकी नाक पर बडी जोर से मारा जिससे नाक में बडी गहरी चोट आ गई। नाक में से काफी खून निकलने लगा, उसको उक्त दोनों ने जमीन पर पटक दिया बेरहमी से मारा पीटा लच्छो ने उसके मुंह पर डण्डा मारा जिससे उसकी ढोडी, होंठ व दांतों में चोट आई। लच्छो ने उसकी शर्ट की जेब में से 7,000/- रुपये छीनकर निकाल लिये। वक्त घटना मौके पर उसके पिता नत्थीलाल एवं भाई केदार मौके पर आ गये थे जिन्होंने उसको उक्त दोनों से बडी मुश्किल से बचाया व सारी घटना आंखो से देखी। उसकी नाक में गंभीर चोट आ जाने के कारण उसके परिवारीजन उसको बाडी अस्पताल लाये उसको अस्पताल में भर्ती करवाया इलाज करवाया। मुस्तगीस को आराम मिलने पर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई.....आदि। उक्त तहरीर रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कंचनपुर, धौलपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 183/23 अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 379, 504 एवं 34 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और अनुसंधान पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323, 341 एवं 504 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप प्रमाणित पाया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को उक्त धारा के अपराध के आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त द्वारा आरोप सुन-समझकर अस्वीकार किया जाकर अन्वीक्षा चाही गयी।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहान परीक्षित करवाया गया-

क्रम संख्या	गवाह संख्या	गवाह का नाम
01.	पी. डब्ल्यू. 01	नत्थीलाल
02.	पी.डब्ल्यू. 02	बच्चूसिंह
03.	पी.डब्ल्यू. 03	विजयसिंह
04.	पी.डब्ल्यू. 04	केदार
05.	पी.डब्ल्यू. 05	मानसिंह
06.	पी.डब्ल्यू. 06	जतनसिंह

4. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेजी/प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्शित करवाए गए-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	प्रदर्श पी.01	नक्शा मौका
02.	प्रदर्श पी.02	तहरीर रिपोर्ट
04.	प्रदर्श पी.03	चाक एफ.आई.आर.
05.	प्रदर्श पी.04	चोट प्रतिवेदन विजयसिंह

5. अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेजी/प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्शित करवाए गए-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	प्रदर्श पी.01	बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता नत्थीलाल
02.	प्रदर्श पी.02	बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता बच्चू

6. अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने पर अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत परीक्षित किया गया तो उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

7. बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्ता का कथन है कि पत्रावली पर अभियुक्त के विरुद्ध ऐसी कोई

साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर उसे आरोपित अपराध में संबद्ध किया जा सके। अभियोजन द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया जाकर अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

8. **विचारणीय बिन्दु**

इस प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

(A) क्या अभियुक्त ने उक्त वर्णित दिनांक, समय व स्थान पर मजरूब विजयसिंह को स्वेच्छया रास्ते में जाते हुये रोककर उसका सदोष अवरोध कारित करते हुये मजरूब के साथ स्वेच्छया मारपीट कर उसे साधारण चोटें कारित की तथा उसके साथ गाली-गलौच करके उसे अपमानित किया और इस प्रकार अभियुक्त द्वारा धारा 323, 341 एवं 504 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया है?

(B) यदि हाँ, तो अभियुक्त किस दण्ड का पात्र होगा?

9. **अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341 एवं 504 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में न्यायालय को विनिश्चय है-**

दांडिक विधि में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्त के विरूद्ध आक्षेपित आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष के ऊपर होता है। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियोजन की ओर से अपनी कहानी के समर्थन में कुल 06 गवाहों को परीक्षित करवाया गया। संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में साक्ष्य का विश्लेषण निम्न प्रकार है-

10. अब यदि इस संबंध में पत्रावली पर परीक्षित गवाहान की मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह स्वयं मुस्तगीस विजय सिंह पी.डब्ल्यू. 03 ने न्यायालय समक्ष हुये अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि घटना कि दिनांक को उसके साथ अभियुक्त सुरेन्द्र द्वारा गाली-गलौच की गई थी। आगे गवाह ने कथन किया है कि अभियुक्त सुरेन्द्र ने बंदूक के बट से **उसके पेट पर मारा** और लच्छो ने उसके मुंह के जबडे में डंडा मारा। गवाह ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.01, तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी.02, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.03 एवं उसकी मेडिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी.04 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अपनी जिरह में गवाह ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ कहासुनी किये जाने से इंकार किया है जबकि गवाह ने तहरीर रिपोर्ट में कहासुनी की बातों पर ही अभियुक्त द्वारा गाली-गलौच किया जाना बताया है। आगे गवाह ने कथन किया कि झगडे से संबंधित उसका कोई भी बयान पुलिस द्वारा

नहीं लिया गया था। गवाह ने आगे यह भी स्वीकार किया कि झगड़े में उसके शरीर **पर मात्र दो चोटें ही आई थी**। गवाह ने अपने व अभियुक्त के बीच पूर्वी रंजिश होने से इंकार किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि मुस्तगीस ने अभियुक्त द्वारा उसे बदूंक के बट से पेट में मारने का कथन किया है एवं लच्छो, जिसे उक्त प्रकरण में अभियुक्त नहीं बनाया गया है, उसके द्वारा जबडे पर मारने का कथन किया है। आगे मुस्तगीस झगड़े के दौरान उसके शरीर पर मात्र दो चोटें ही आना स्वीकार करता है। यहां गोर करने वाली बात यह है कि मुस्तगीस द्वारा अपनी पुलिस को दी गई तहरीर रिपोर्ट में अभियुक्त सुरेन्द द्वारा उसे कट्टे के बट से नाक पर मारने का कथन किया गया है। मुस्तगीस के चोट प्रतिवेदन का अवलोकन किया जावे तो उसमें उसके कथनानुसार उसके पेट पर कोई भी चोट आना अंकित नहीं है।

11. प्रकरण के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 01 नत्थीलाल जो मुस्तगीस का पिता है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र को मुस्तगीस के ऊपर कट्टे के बट से नाक पर मारते हुये देखा गया था जबकि स्वयं मुस्तगीस ने अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है कि सुरेन्द्र ने बंदूक के बट से उसके पेट में मारा था। अपनी जिरह में गवाह ने कथन किया कि जब वह मौके पर पहुंचा तब मुस्तगीस के नाक और ठोडी से खून निकल रहा था। आगे गवाह ने कथन किया कि जब वह 25-30 फुट की दूरी पर था, तब अभियुक्त भाग गया था एवं जब वह मौके पर पहुंचा तब उसने मुस्तगीस के नाक व ठोडी पर खून देखा। गवाह के उक्त कथनों से प्रतीत होता है कि उक्त गवाह वक्त घटना मौके पर मौजूद नहीं था जिससे इस बात में भी संदेह उत्पन्न हो जाता है कि क्या वास्तव में गवाह द्वारा उक्त घटना देखी गई थी या नहीं। यह दर्शाता है कि उसके द्वारा वास्तव अभियुक्त सुरेन्द्र द्वारा मुस्तगीस को कट्टे की बट से नाक पर मारना नहीं देखा गया था। जब गवाह मौके पर पहुंचा तब उसने देखा था कि मुस्तगीस के नाक व ठोडी से खून बह रहा था। आगे गवाह ने कथन किया कि खून से मुस्तगीस के कपडे भीग गये थे परन्तु ऐसा कोई भी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है ।

12. प्रकरण के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 02 बच्चू सिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि घटना की दिनांक को सुबह करीब 09-10 बजे वह अपने घर पर था, विजय सिंह अपने घर से निकलकर गांव की ओर गया था। जैसे ही विजय सिंह चौक में पहुंचा तो विजय सिंह को सुरेन्द्र व लछछो मिले। सुरेन्द्र व लछछो ने विजयसिंह को रोककर लाठी डंडो से मारपीट की। लछछो ने डंडा मारा जो मुंह पर लगा, सुरेन्द्र ने विजय सिंह के कट्टे का बट मारा जो नाक पर लगा जिससे नाक से खून निकला था। उसने, नत्थी, केदार ने भागकर पहुंचे तब उन्होंने बडी मुश्किल से बीच-बचाव करवाया, नहीं तो ये और ज्यादा मारपीट करते। पुलिस मौके पर गई थी, जहां उसका बयान लिया था। अपनी जिरह में गवाह ने कथन किया कि जब वह मौके पर पहुंचा तो विजय सिंह की नाक व मुंह से खून निकल रहा था, उसके कपडे भी खून से बिगड रहे थे। आगे गवाह

ने कथन किया **कि सुरेन्द्र ने नाक में चोट मारी होगी**। जब वह मौके पर पहुंचा तब तक मुल्जिमान भाग गये थे और विजय सिंह जमीन पर पडा हुआ था। अतः उक्त गवाह द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि जब तक मौके पर पहुंचा था, अभियुक्त भाग चुके थे। उसने अभियुक्त को मुस्तगीस के साथ मारपीट करते हुये नहीं देखा था। गवाह कथन करता है कि सुरेन्द्र ने नाक में चोट मारी होगी। गवाह के उक्त कथन से प्रतीत होता है कि उक्त गवाह ने भी अभियुक्त को मुस्तगीस के साथ मारपीट करते हुये नहीं देखा था।

13. प्रकरण के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 04 केदार ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा घटना की दिनांक को सुबह 09.30 बजे विजय सिंह के साथ सुरेन्द्र ने झगडा किया। झगडे में सुरेन्द्र ने गाली-गलौच व कटटे के बट से मारपीट की। सुरेन्द्र के साथ लछछो भी था, जिसने विजय सिंह के साथ मारपीट की व डंडा मारा। गवाह ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.01 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अपनी जिरह में गवाह ने कथन किया कि चुनाव में अभियुक्त सुरेन्द्र द्वारा पैसे बांटे गये थे एवं मुस्तगीस विजय सिंह द्वारा वोट नहीं दिये जाने पर झगडा हुआ था। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त गवाह अपने बयानों में कहीं भी यह कथन नहीं करता है कि वह घटना के समय मौके पर मौजूद था, यह उसके द्वारा खुद अभियुक्त को मुस्तगीस के साथ मारपीट होते देखा हो, संदेहास्पद है।

14. प्रकरण के अन्य गवाह पी.डब्लयू. 06 जतन सिंह द्वारा मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 04.06.2023 को सुबह 09.30 बजे विजय सिंह के साथ सुरेन्द्रसिंह और लछछो ने रोककर मारपीट की और उसको रोड पर पटक दिया और लहुलुहान कर दिया। वह उसको उल्टी सीधी गाली भी दे रहा था। तब वहां मौके पर उसने, केदार व नत्थी ने बीच-बचाव कराया। अपनी जिरह में गवाह ने कथन किया कि वह विजय सिंह के चचेरे भाई होने के नाते बयान दे रहा है। गवाह ने जिरह में कथन किया कि उसने अभियुक्त व मुस्तगीस के मध्य पैसों के लेनेदेन की वजह से हो रही थी। आगे गवाह ने कथन किया कि वह कहासुनी के दौरान ही मौके पर पहुंच गया था। फिर उसने दोनों का झगडा शांत करा दिया था, उसके बाद दोनों अपने-अपने घर चले गये थे। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके पुलिस बयान में विजय सिंह को पटकने वाली बात अंकित नहीं है मारपीट वाली बात अंकित है।

15. अतः पत्रावली पर पेश हुये समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट कि मुस्तगीस के अलावा जतन सिंह ही प्रकरण का चक्षुदर्शी साक्षी है एवं उक्त गवाह ने भी अपनी जिरह में अभियुक्त द्वारा मुस्तगीस के साथ मारपीट करने की बात न कहकर दोनों के बीच पैसों के लेनदेन से संबंधित झगडा होने का कथन किया गया है, जो झगडा गवाह द्वारा शांत करा दिया गया था एवं अभियुक्त व मुस्तगीस अपने घर चले गये थे। इसके अतिरिक्त प्रकरण के मुस्तगीस विजय सिंह ने खुद अभियुक्त द्वारा उसे बंदूक के बट से पेट में मारने का कथन किया है। वह दूसरी चोट लछछो, जो प्रकरण में

अभियुक्त नहीं बनाया गया है, उसके द्वारा कारित किये जाने का कथन करता है। मुस्तगीस ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि घटना के दौरान उसे मात्र दो ही चोटें आई थी परंतु तहरीर रिपोर्ट में मुस्तगीस ने अभियुक्त सुरेन्द्र द्वारा उसके कट्टे के बट से नाक में मारने का कथन किया है। प्रकरण के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 05 मान सिंह जो प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी की ताईद की है। अपनी जिरह में गवाह द्वारा यह कथन किया गया है कि **इस मुकदमें से संबंधित कोई मालूमात नहीं पाये गये** परन्तु गवाह पी.डब्ल्यू.01 और पी.डब्ल्यू. 02 द्वारा मुस्तगीस विजय सिंह की मारपीट के दौरान उसके कपडे खून से लाथपथ होने का कथन किया गया है परन्तु अनुसंधान अधिकारी द्वारा मामले में किसी प्रकार के भी मालूमात पाये जाने का कथन नहीं किया है।

16. अतः पत्रावली पर पेश हुई समस्त साक्ष्य का विवेचन किया जावे तो यह स्पष्ट है कि घटना के वक्त मुस्तगीस के अलावा पी.डब्ल्यू. 06 जतन सिंह ही मौके पर मौजूद था एवं वही इस प्रकरण का एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी है। उक्त गवाह द्वारा भी अभियुक्त द्वारा मुस्तगीस के साथ मारपीट करने की बात न कहकर दोनों के बीच पैसों की लेन देन को लेकर झगडा होने का कथन किया गया है। आगे गवाह ने कथन किया कि उसके द्वारा झगडा शांत करवा दिया गया था एवं अभियुक्त व मुस्तगीस अपने अपने घर चले गये थे। अतः प्रकरण का एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी भी अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण के मुस्तगीस विजय सिंह ने खुद अभियुक्त द्वारा उसे बंदूक के बट से उसके पेट में मारने का कथन किया है परन्तु ऐसी कोई भी चोट उसके चोट प्रतिवेदन पर अंकित नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी घटना संबंधित कोइ मालूमात नहीं पाये गये हैं। मुस्तगीस विजय सिंह ने अपनी घटना में कारित हुई चोटे के इलाज बाबत् कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर पेश नहीं किया है। अतः प्रकरण में अभियुक्त सुरेन्द्र के विरुद्ध उस पर अधिरोपित आरोपों के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा लेखमात्र साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पत्रावली पर ऐसा कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है जो अभियुक्त द्वारा मुस्तगीस के साथ मारपीट होने तथा उसके साथ गाली-गलौच किये जाने की पुष्टि करता हो। अतः पत्रावली पर ऐसा कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं जिससे अभियोजन पक्ष के कथनों को बल मिले व इस कथन की पुष्टि हो सके कि अभियुक्त ने उक्त वर्णित दिनांक, समय व स्थान पर मजरूब विजयसिंह को स्वेच्छया रास्ते में जाते हुये रोककर उसका सदोष अवरोध कारित करते हुये मजरूब के साथ स्वेच्छया मारपीट कर उसे साधारण चोटें कारित की तथा उसके साथ गाली-गलौच करके उसे अपमानित किया हो।

17. अतः इस प्रक्रम पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 341 एवं 504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर अपराध

अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 341 एवं 504 में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: *आदेश* ::—

18. परिणामतः अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र फोदलिया निवासी गढी जाटवान, थाना कंचनपुर, जिला- धौलपुर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 341 एवं 504 के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

19. अभियुक्त द्वारा नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में पेश किए गए जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

20. अभियुक्त द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए के प्रावधानों के तहत जमानत मुचलके पूर्व में पेश किये जा चुके हैं जो बाद जांच तस्दीक किये गये।

(सौम्या यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाडी,
धौलपुर

21. यह निर्णय आज दिनांक 09.07.2026 को उसके द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(सौम्या यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाडी,
धौलपुर